बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

संचिका स०-स0क0निग0-55/2023-2266/श्रीमती रश्मि सिन्हा, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, नालन्दा सम्प्रति जहानाबाद के विरुद्ध नालन्दा जिलान्तर्गत प्रखण्ड एकंगरसराय, पंचायत- पार्थू, ग्राम-कंजास के वार्ड संख्या-4 में आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन हेतु दिनांक-16.04.2018 को आयोजित द्वितीय आम सभा में अभ्यर्थी श्रीमती संगीता कुमारी के आवेदन को चयन मार्गदर्शिका-2016 की कंडिका-6 के प्रावधानों के हवाले से बिना उनके आय प्रमाण पत्र का सत्यापन किये अस्वीकृत किये जाने संबंधी श्रीमती संगीता कुमारी के शिकायत पत्र पर बिना संपूर्ण तथ्यों को संज्ञान लिये अपना आदेश निर्गत करने एवं इस चयन के संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, नालन्दा के समक्ष दिनांक-09.04 2018 एवं 19.04.2018 को तथा उनके देवर परमजीत कुमार द्वारा दिनांक-11.12.2018 को शिकायत दर्ज करने पर श्रीमती सिन्हा दवारा लगभग एक वर्ष तक शिकायत पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी तथा एक वर्ष के उपरांत संपूर्ण तथ्यों को संज्ञान लिये बगैर परिवादी के परिवाद को आदेश ज्ञापांक-1550/प्रो० दिनांक-07.09.2019 के द्वारा खारिज करने, परमजीत कुमार द्वारा दिये गये परिवाद अनन्य स०-427110207091901320 के संबंध में द्वितीय अपीलीय प्राधिकार-सह-अपर मुख्य सचिव द्वारा पारित आदेश में चयन में बरती गई अनियमितता के सज्ञांन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने के संबंध में उपलब्ध कराये गये अपने स्पष्टीकरण में उपरोक्त स्थिति के बावजूद अपने आदेश के हवाले से खुद के स्तर से कोई अनियमितता नहीं किये जाने का उल्लेख करने आदि के आरोपों के सबंध में विभाग द्वारा आरोप पत्र गठित किया गया।

आरोप पत्र पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के तहत इनसे लिखित अभिकथन की माँग किये जाने पर इनके पत्रांक-565 दिनांक-13.05.2023 से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं समीक्षोपरांत इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सचांलित करने का निर्णय लिया गया है। जिसके आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-3566, दिनांक-17.07.2023 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली,2005 के नियम-16 एवं 17 के अंतर्गत श्रीमती सिन्हा के विरूद्ध उक्त आरोपों की जांच के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। जिसमें श्रीमती सिन्हा के विरूद्ध इस विभागीय कार्यवाही के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली,2005 के नियम-17(2)(5)(क) एवं (ग) के अन्तर्गत श्री विरेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री राय अमरनाथ सहाय, प्रशाखा पदाधिकारी-2, समाज कल्याण विभाग को उपस्थापन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अपने पत्रांक-3684, दिनांक-02.08.2024 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप संख्या-01, 02, 04, 05 को अप्रमाणित तथा आरोप संख्या-03 को आंशिक रूप से प्रमाणित माना गया। आंशिक रूप से प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(3) के प्रावधानों के तहत विभागीय पत्रांक-4226, दिनांक-05.09.2024 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से लिखित अभ्यावेदन/ निवेदन की मांग किये जाने पर इनके द्वारा अपने पत्रांक-1276, दिनांक-23.09.2024 के माध्यम से लिखित अभ्यावेदन/ निवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। तत्क्रम में विभागीय अधिसूचना संख्या-6229, दिनांक-20.08.2025 द्वारा श्रीमती सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था तथा कालानुक्रम में विभागीय अधिसूचना संख्या-8165, दिनांक-23.12.2025 द्वारा इन्हें निलंबन से मुक्त किया गया।

श्रीमती सिन्हा के विरूद्ध आरोप पत्र में लगाये गये आरोप, जाँच पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन में दिया गया निष्कर्ष एवं आंशिक रूप से प्रमाणित आरोप के आलोक में आरोपित पदाधिकारी का लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि श्रीमती सिन्हा द्वारा परिवादी के परिवाद पत्र पर आदेश पारित करने में देरी की गई। उपरोक्त वस्तुस्थिति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती सिन्हा के विरूद्ध चेतावनी एवं एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में श्रीमती रश्मि सिन्हा, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, भोजपुर सम्प्रति (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत चेतावनी एवं एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

11/5/26

(योगेश कुमार सागर)
अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापाक स0क० निग0-55/2023- 2266 पटना-15 दिनाक :- 12.5.2026

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं हार्ड कॉपी के साथ राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/- 11/5/26
अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापाक स0क० निग0-55/2023- 2266 पटना-15 दिनाक :- 12.5.2026

ईमेल/
निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, मगध प्रमण्डल, पटना/गया/निदेशक, आई०सी०डी०एस०, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, नालन्दा/जहानाबाद/भोजपुर/जिला प्रोग्राम, पदाधिकारी, नालन्दा/जहानाबाद/भोजपुर/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव /सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना / विभागीय आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु)/ श्रीमती रश्मि सिन्हा, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, भोजपुर (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 11/5/26
अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।